



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पृष्ठ 7, शक 1933

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 20-72/2011/1/6.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदान शर्तियों को पर्याप्त में लागू हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलाय प्राधिकारों का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	कार्यालय/निकाय अधिकारण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलाय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	(1) ई. एम. पार्क 1 अभिव्यक्ति जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	07 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(2) ई. एम. पाटं 2 अभिम्बोक्ति जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	21	कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	(3) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम को वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	30	कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	(4) नियंत्रित कच्चे माल की अनुशंसा करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	30	कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	(5) भूमि आवंटन का मांग/सूचना पत्र जारी करना (निर्धारित भू-आवेदन पत्र में उल्लेख सम्पूर्ण आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने एवं भूमि रिक्त होने पर प्रस्ताव उद्यमी को देना)	21	कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	(6) भू-आशय पत्र (जारी आफर लेटर में उल्लेखित 10 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम गारंटी भुगतान के पश्चात्)	30	कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	(7) आवंटन आदेश (आशय पत्र में उल्लेखित शर्तों को पूर्ति के पश्चात्)	21	कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	(8) लीजहोड निष्पादन (आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात् इकाई द्वारा लीजहोड निष्पादन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर)	21	कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(9) यक्षमता प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र पुण होने को स्थिति में)	21 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	(10) बैंक लोन को अनुशंसा पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
महायक पंजीयक/ पंजायक, फर्म एवं संस्थाएं	(1) शुनोसगद् सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 (संशु 1928) को धारा 7 के अधीन मर्मति, उवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला एवं-महायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.	30 कार्य दिवस	महायक पंजीयक (अधिनियम को धारा 4(2) के तहत प्राधिकृत अधिकारी)	पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
	(2) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 को धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.	15 कार्य दिवस	सहायक पंजीयक (अधिनियम को धारा 4(2) के तहत प्राधिकृत अधिकारी)	पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
उद्योग संचालनालय शुनोसगद्	(1) जुहद, मेगा प्रोजेक्ट व अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्यम को कार्गिज्यक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने को स्थिति में)	90 कार्य दिवस	अपर/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	(2) नियंत्रित कच्चे माल को अनुशंसा करना (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से उ.संवा. को अनुशंसा सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने को स्थिति में)	30 कार्य दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	(3) भूमि आवंटन का मांग/सूचना पत्र जारी करना (निर्धारित भू-आवेदन पत्र में)	21 कार्य दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		उल्लेख सम्पूर्ण आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने एवं भूमि रिक्त होने पर प्रस्ताव उद्योगी को देना)				
	(2)	भू-आशय पत्र (जारी आफर लेटर में उल्लेखित 10 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम रशि भुगतान के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	कार्यपालक संचालक/मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	(3)	आवंटन आदेश (आशय पत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात्)	21 कार्य दिवस	कार्यपालक संचालक/मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	(4)	लीजडॉड निष्पादन (आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात् इकाई द्वारा लीजडॉड निष्पादन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर)	21 कार्य दिवस में लीजडॉड निष्पादन	कार्यपालक संचालक	प्रबंध संचालक	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
1.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़	(1) वाष्पयंत्रों के पंजीयन हेतु निरीक्षण	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	(2)	वाष्पयंत्रों का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	(3)	वाष्पयंत्रों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव	02 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	(4)	दुपंटना को स्थिति में अनुसंधान	15 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(5) सेल्डर परीक्षा	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
		(6) वाष्पयंत्रों का भाप परीक्षण.	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.